

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
ENVIRONMENT DEPARTMENT

Notification

The 15 October, 2010

No. S.O. 104/C.A. 29/1986/Ss. 5 and 7/2010.—Whereas, it is necessary and expedient to take immediate steps under section 5 and 7 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986, to maintain ecological balance in the State of Haryana, to prevent environmental degradation and avoid traffic and human health hazards;

And whereas, the State Government has already taken a decision to maintain ecological balance keeping in view the industrial development and also to maintain the quality of environment and to avoid health hazard for the residents of the area;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with Government of India, Ministry of Environment and Forests, Department of Environment, Forests and Wildlife, notification No. S.O. 152(E), dated the 10th February, 1988, and in pursuance of the provisions of section 7 of the said Act and rule 4 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the Environment Department, notification No. S.O. 103/C.A. 29/1986/S. 5 and 7/2001, dated the 31st July, 2001, the Governor of Haryana hereby directs the operators of Hot Mix Plant in the State of Haryana to follow the following siting criteria norms for establishing the Hot Mix Plants in the state :—

Norms of siting of Hot Mix Plants

- (i) Minimum distance from the Municipal Limit shall be five Kilometers;
- (ii) Minimum distance from revenue phirni (lal dora wherever there is no village phirni) shall be one kilometer;
- (iii) Minimum distance from the nearest National Highway shall be one & half Kilometers;
- (iv) Minimum distance from the nearest State Highway shall be one Kilometer;
- (v) Minimum distance from the nearest Major District Road and Other Roads shall be 200 meters;

- (vi) Minimum distance from sensitive places like Hospital, Tourist Spots, Lakes, National Monuments and National Parks/wild life sanctuaries/conservation reserves shall be two Kilometers;
- (vii) Minimum land required for each unit shall be two acres;
- (viii) In future, Hot Mix Plants with latest technology of Pollution Control Measures having Fabric Filter with reverse air cleaner based on the principle of Reverse Air cleaning or Dry dust collector (Multicyclone) with multiple wet scrubbers shall only be allowed. Elevators at loading section shall be fully covered;
- (ix) There should be buffer green belt facing road and abadi having width of ten Meters with a minimum of 3 rows of plants;
- (x) Emission Standards required to be achieved : Suspended Particulate Matter (Milligram/Normal Cubic Meter).

Note:—

- (1) Any other emission standards prescribed by Ministry of Environment and Forest, Government of India/Central Pollution Control Board/Haryana State Pollution Control Board in future shall also be applicable.
- (2) Existing unit which do not have the latest technology as defined above shall have to provide the latest technology of Air Pollution Control Measure within a period of two years.
- (3) Hot Mix Plant shall have to arise the stack height of atleast twenty five meters.

G. PRASANNA KUMAR,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Environment Department.

हरियाणा सरकार

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिनांक 15 अक्टूबर, 2010

संख्या का०आ० 104/के० अ० 29/1986/घा० 5 तथा 7/2010.—चूंकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 5 तथा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, के नियम 4 के अधीन हरियाणा राज्य में पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने, पर्यावरण का हास रोकने तथा यातायात तथा मानव स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों से बचने के लिए तुरन्त उपाय करने आवश्यक तथा समीचीन हैं ;

और चूंकि, राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुये पारिस्थितिक सन्तुलन और पर्यावरण की शुद्धता बनाये रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य संकट से बचाने का निर्णय पहले ही ले चुकी है ;

इसलिये, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, वन तथा वन्य जीव पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 152(ई०), दिनांक 10 फरवरी, 1988, के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में तथा हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का० आ० 103/के० अ० 29/1986/घा० 5 तथा 7/2001, दिनांक 31 जुलाई, 2001 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य में हॉट मिक्स प्लांट स्थापित करने के लिये निम्नलिखित स्थल निर्धारण मानकों का अनुसरण करने के लिये राज्य में हॉट मिक्स प्लांट संचालकों को निर्देश देते हैं :—

हॉट मिक्स प्लांट के स्थल के लिये मानक

- (i) नगरपालिका सीमा से न्यूनतम दूरी पांच किलोमीटर होगी ;
- (ii) राजस्व फिरनी (जहां गांव में फिरनी नहीं है, वहां लाल डोरा) से न्यूनतम दूरी एक किलोमीटर होगी ;
- (iii) निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग से न्यूनतम दूरी 1.5 किलोमीटर होगी ;
- (iv) निकटतम राजमार्ग से न्यूनतम दूरी एक किलोमीटर होगी ;
- (v) निकटतम मुख्य जिला सड़क और अन्य सड़कों से न्यूनतम दूरी 200 मीटर होगी ;
- (vi) अतिसंवेदनशील स्थानों जैसे अस्पताल, पर्यटक स्थल, झीलें, राष्ट्रीय स्मारकों तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्य प्राणी विहार/संरक्षण आरक्षण से न्यूनतम दूरी दो किलोमीटर होगी .

- (vii) प्रत्येक इकाई के लिये न्यूनतम अपेक्षित भूमि दो एकड़ होगी ;
- (viii) विपरीत वायु सफाई या बहुप्रयोजन आर्द्र मानक के साथ शुष्क मूल कलक्टर (एकत्रक) (मल्टीसाइक्लोन) के सिद्धान्त पर आधारित विपरीत वायु क्लीनर सहित फैंबरिक फिल्टर रखने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों की नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ भविष्य में केवल हॉट मिक्स प्लांट अनुज्ञात होंगे। लोडिंग सैक्शन में एलीवेटर्ज पूर्णतया ढके हुए होंगे ;
- (ix) सड़क तथा आबादी के सामने कम से कम 3 पौधों की कतारों सहित दस मीटर की चौड़ी बैफर ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए ;
- (x) प्राप्त किये जाने के लिए अपेक्षित उत्सर्जन मानक: सस्पैन्डिड पार्टिकुलर मैटर (मिलीग्राम/नॉर्मल क्यूबिक मीटर)।

टिप्पण :—

- (1) पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विहित कोई अन्य उत्सर्जन मानक भविष्य में भी लागू होंगे।
- (2) वर्तमान इकाई जिन में ऊपर यथा परिभाषित नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हैं उन्हें वायु प्रदूषण रोकथाम संयंत्र की नवीनतम प्रौद्योगिकी दो वर्ष की अवधि में उपलब्ध करवाने होंगे ;
- (3) हॉट मिक्स प्लांट की चिमनी की ऊंचाई कम से कम 25 मीटर बढ़ानी होगी।

जी० प्रसन्ना कुमार,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।